वेब परिचालन
संसदीय मामला

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14,भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066
Bhavishya Nidhi Bhawan , 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi -110066
www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं. पीक्यू/6(131)2017/कैलेंडर/15313 1431

दिनांक: 04.12.2017 07 DEC 2017

सेवा में,

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय, अंचल एवं पी.डी.यू.एन.ए.एस.एस.), सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुख्यालय एवं क्षे.का. के प्रभारी

विषय : 16 वीं लोकसभा के तेरहवें सत्र तथा राज्य सभा के 244वें सत्र 2017 (शीतकालीन सत्र, 2017) के दौरान प्रश्नों का जवाब देने के लिए बैठकें तथा दिनों के आबंटन संबंधी कैलेंडर ।

महोदय,

लोकसभा एवं राज्यसभा की अधिकारिक वेबसाइट पर दी गई सूचना के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि 16वीं लोकसभा का तेरहवां सत्र तथा राज्यसभा का 244वां सत्र **(संसद का शीतकालीन सत्र, 2017) 15 दिसंबर, 2017 (शुक्रवार) से आरंभ हो रहा है तथा यह सत्र 05 जनवरी, 2018 (शुक्रवार) तक जारी रहेगा** । निजी सदस्यों से संबंधित क्रियाकलाप (विधेयक एवं संकल्प) तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आबंटित दिनों का विवरण इस प्रकार है :-

विवरण	लोकसभा	राज्यसभा
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को आबंटित संसदीय प्रश्न के दिन	सोमवार 18 दिसंबर, 2017 25 दिसंबर, 2017 (अवकाश) 1 जनवरी, 2018	बुधवार 20 एवं 27 दिसंबर, 2017 03 जनवरी, 2018
निजी सदस्यों के संकल्प के लिए आबंटित दिन	शुक्रवार 22 दिसंबर, 2017 05 जनवरी, 2018	शुक्रवार 22 दिसंबर, 2017 05 जनवरी, 2018
निजी सदस्यों के विधेयक के लिए आबंटित दिन	शुक्रवार 15 दिसंबर, 2017 29 दिसंबर, 2017	शुक्रवार 15 दिसंबर, 2017 29 दिसंबर, 2017

2. इस परिप्रेक्ष्य में, यह अनुरोध किया जाता है कि संसदीय प्रश्नों के उत्तर तैयार करने में किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए अपेक्षित सूचना / सामग्री को rc.pqcell@epfindia.gov.in पर **ई-मेल के माध्यम से** एवं फैक्स के द्वारा **011-26100314** पर भी भेजा जाए । **क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्तों का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करें कि हार्ड कॉपी एवं ई-मेल के उत्तर एक समान हों ।**

3. पूर्व में यह देखा गया है कि कभी - कभी ससंदीय प्रश्न बहुत ही अल्प सूचना पर प्राप्त होते हैं । अतः, यह अनुरोध किया जाता है कि सभी संबंधित यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन कार्यरत अधिकारी/स्टाफ उक्त अवधि के दौरान कार्यालय में उपस्थित रहें ।

(अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त-मुख्यालय (पी.क्यू.) के अनुमोदन से जारी)

भवदीय,

7-12-17

(अमिय कांत)
क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त-I (संसदीय प्रश्न)

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I (एन.डी.सी.) को वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित प्रेषित ।
2. मुख्यालय के सभी अनुभाग ।
3. कृपया कें.भ.नि.आ के प्र.नि.सचिव को सचिवालय की डायरी संख्या 121264 दिनांक 04.12.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ ।